

पंचायत चुनाव मतदाता सूची प्रकाशन 29 को दावे 3 दिसंबर तक कर सकेंगे

भास्कर संवाददाता | रतलाम

युवा नाम जुड़वाएं

दिसंबर में संभावित पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। बुधवार को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी हो गया। इसके अनुसार मतदाता सूची का प्रकाशन 29 नवंबर को होगा। सूची ग्राम पंचायत एवं अन्य चयनित स्थानों पर लगाई जाएगी। इस पर 3 दिसंबर तक दावे-आपत्ति ले सकेंगे। 4 दिसंबर को इनका निराकरण किया जाएगा। 6 दिसंबर को मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन कर दिया जाएगा। यह संक्षिप्त पुनरीक्षण ग्राम पंचायतों के लिये होगा, जो अध्यादेश से प्रभावित हुई है। इसके पहले 25 से 28 नवंबर

1 जनवरी 2022 के मान से फोटो निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 का प्रारूप प्रकाशन 1 नवंबर को किया जा चुका है। 30 नवंबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा जिले के ऐसे युवा जो 18 साल के हो चुके हैं, वे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं।

तक पहले के परिसीमन के आधार पर नए क्षेत्र का चयन, मतदाताओं को क्षेत्रवार कंट्रोल टेबल में लिंक करना, वेरीफिकेशन करना, फोटो रहित और फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची जनरेट सहित अन्य काम होंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषित किया वार्षिक पुनरीक्षण मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम

रतलाम। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम घोषित किया है। यह संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम उन ग्राम पंचायतों के लिये ही होगा, जो अध्यादेश से प्रभावित हुई है। साथ ही पुनरीक्षण अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को यथोचित स्थान पर प्रविष्ट करने तक ही सीमित होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार 25 से 28 नवंबर तक पूर्व परिसीमन के आधार पर नये क्षेत्र का चिन्हांकन, मतदाताओं को क्षेत्रवार कंट्रोल टेबल में यथास्थान लिंक करना एवं उनका वेरीफिकेशन करना, फोटो रहित और फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करना तथा उसे वेबसाइट पर अपलोड करने का कार्य किया जायेगा। प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 29 नवंबर को कर 3 दिसंबर तक दावे-आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 4 दिसंबर तक कर अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 6 दिसंबर को किया जायेगा।

द.भास्कर 25/11/21

उ.साहू 25/11/21

18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा वर्ग अपना नाम वोटर लिस्ट में अवश्य जुड़वाएं: कलेक्टर

रतलाम। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी 2022 के मान से फोटो निर्वाचनक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 का प्रारूप प्रकाशन 01 नवंबर, 2021 को किया जा चुका है। आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 30 नवंबर तक दावे और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अपील की है कि इस अवधि में जिले के ऐसे युवा जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वह बी.एल.ओ. से फार्म प्राप्त कर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। सभी बीएलओ गुरुड एप के माध्यम से ही फार्म भरवायें, मैन्युअल फार्म न भरकर ऑनलाइन ही फार्म भरेंगे।

उ.साहू (कलेक्टर) 25/11/21

18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं

रतलाम। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2022 के मान से फोटो निर्वाचनक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 का प्रारूप प्रकाशन 01 नवंबर 2021 को किया जा चुका है। आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 नवंबर तक दावे और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख है। जिले के ऐसे युवा जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे बीएलओ से फार्म प्राप्त कर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं।

वैकसीन की दूसरी डोज शीघ्र लगवाएं

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी नागरिकों से कोरोना वायरस से संपूर्ण सुरक्षा के लिए वैकसीन की दूसरी डोज शीघ्र लगवाने अपील की है। कलेक्टर ने अपील में कहा है कि शत-प्रतिशत वैकसीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिले के प्रत्येक नागरिक को अपनी भगीदारी निभानी होगी। विशेष अभियान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में वैकसीनेशन सेंटर बनाए गए हैं।

उ.इ.श्रीवा 25/11/21

काम ठीक नहीं तो बड़ी कार्रवाई- कलेक्टर

रतलाम, नप्र। कोविड-19 वैक्सिनेशन का आज महाअभियान है जिसमें काम बेहतर ढंग से करने को कहा है। जिले में 70 हजार टीके का लक्ष्य रखा है। कलेक्टर ने साफतौर पर चेताया कि अगर काम ठीक नहीं प्रायः तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

टीकाकरण अभियान की बेहतरी के लिए कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया। बताया कि पूरे हफ्ते जिले में 1 लाख 15 हजार वैक्सिनेशन किया जाना है। रतलाम शहर में 10 हजार वैक्सिनेशन का लक्ष्य तय किया है तो सेलाना अनुविभाग में 13 हजार तथा बाजना में साढ़े 6 हजार वैक्सिनेशन का लक्ष्य तय किया है। महा अभियान दौरान शहर में मोबाइल टीमों की तादात बढ़ाने को कहा। कहा कि हर बाजार में मोबाइल टीम तैनात की जाए। बसस्टैंड पर मुस्तैदी से काम कर बसों की चेंकिंग कर टीकाकरण करें।

खासतौर पर दुकानों की चेंकिंग के दौरान दुकानदारों के मोबाइल से दोनों खोज वैक्सिन के मैसेज चेक किए जाने को कहा। जहां भी दोनों खोज नहीं पाए जाते हैं तो दुकान बंद कर दी जाएगी और जुर्माना अलग से किया जाएगा। कलेक्टर ने संबंधित नोडल तथा अन्य अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि टीकाकरण का काम ठीक ढंग से करें।

पिछले महाअभियान में ढंग से काम नहीं करने वालों को शोकाज नोटिस जारी करने को कहा गया। समीक्षा में कलेक्टर ने पाया कि आलोट में अभी भी 45 हजार सेकंड डोज अभी बाकी है।

किसानों को टीके- टीकाकरण की कामयाबी के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम लगातार नजर रखे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने मंडियों में भी टीका लगाए जाने

इनका काम रहा कमजोर

आलोट के पशु चिकित्सा सेवा के डॉक्टर दिनेश कुमार का काम ठीक नहीं पाया जिन्हें शोकाज नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने खुद उनसे बात कर बताया कि इस बार भी अगर ठीक से काम नहीं दिया गया तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले महा अभियान में कम लक्ष्य अर्जित करने पर बडावदा नगर पालिका अधिकारी कुमावत के काम पर कलेक्टर नाराज हुए। ऐसे ही निर्देश पिपलौदा शहर को भी दिए। कनिष्ठ अपूर्ण अधिकारी पिपलौदा अहिरवार को भी शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर कौंति पुरोहित, ज्योत्सना आठे तथा रमेश निनामा का काम कमजोर पाए जाने पर दो-दो वेतन वृद्धि रोकने के लिए शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

का इंतजाम करवाया है ताकि मंडी में आने वाले ऐसे किसान जिन्होंने अब तक या तो दोनों टीके नहीं लगाए अथवा दूसरा टीका लगाने से बचे हैं, उन्हें विशेष रूप से टीका लगाया जा रहा है। दोनों टीके का लक्ष्य हासिल करने के लिए मंडियों में रोजाना टीके लग रहे हैं। कल ही जिले की पांच मंडियों में 227 टीके लगाए। 19 टीके पहले डोज के थे जबकि 208 लोगों को दूसरे डोज का टीका लगा है। टीके जरूरी होने पर कलेक्टर ने घंटा 144 के तहत पहले जारी किए सारे आदेशों को निरस्त करते हुए नये आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत सभी सरकारी सेबकों से अपेक्षा की गई है कि वे कोविड-19 टीकाकरण के दोनों टीके लें। विभाग अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी तय की गई वे ऐसे शासकीय सेबकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिन्होंने अब तक दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं, उन्हें दोनों टीके लगाना जरूरी होगा। स्कूलों में बच्चों और स्टाफ के लिए टीका जरूरी करते हुए दुकानदारों से अपेक्षा है कि जिन दुकानदारों ने दोनों टीके नहीं लगाए हैं उन्हें दोनों टीके लगाना जरूरी होगा।

इस आदेश के उद्देश्यन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

5/11/24

प्रश्नात कीरणा 24/11/24

योजनाओं का सौ फीसदी लाभ दें

रतलाम, नप्र। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर परिषद ताल में पीएम स्वनिधि एवं एनयूएलएम की समीक्षा बैठक परियोजना अधिकारी अरुण कुमार पाठक जिला शहरी विकास अभिकरण ने की। बैठक में योजनाओं के अंतर्गत बैंक में प्रस्तुत सभी ऋण प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण निर्देश कर्मचारियों को दिए। साथ ही सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंको में भ्रमण कर बैंको को शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण करने के लिए कहा। बैठक में डूड सिटी मिशन मैनेजर कपिल मारोठिया, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी कन्हैयालाल सूर्यवंशी, उपयंत्री नरेश कुमार गोयल, शमशुद्दीन खान आदि मौजूद रहे। जावरा निकाय में भी पीएम स्वनिधि एवं डे एनयूएलएम योजना की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक परियोजना अधिकारी अरुण पाठक जिला शहरी विकास अभिकरण ने आहूत की। बैठक में योजनाओं के अंतर्गत बैंक में प्रस्तुत सभी ऋण प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण 26 नवम्बर तक करवाने के निर्देश सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए। साथ ही सेंट्रल बैंक, यूनिवर्सल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, युको बैंक आदि बैंको में भ्रमण कर बैंको को शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण करने के लिए कहा गया। बैठक में डूड सिटी मिशन मैनेजर कपिल मारोठिया, जावरा मुख्य नगर पालिका अधिकारी दुर्गा बामनिया थे।

5/11/24

जिले में धारा 144 की अवधि बढ़ाई वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य

रतलाम ● स्वदेश समाचार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा पूर्व में जारी तत्संबंधी समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 23 नवंबर से आगामी आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी।

आदेश के अनुसार समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा की गई है कि वे कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लेवे। समस्त विभाग अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं तथा उन्हें दोनों टीके लगाना अनिवार्य होगा। समस्त स्कूल, कॉलेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके के दोनों डोज लेवे। ऐसे स्टाफ कर्मियों, विद्यार्थियों और जिनके द्वारा दोनों डोज नहीं लगाए गए हैं उन्हें दोनों टीके लगाना अनिवार्य होगा प्राचार्य, संचालक सुनिश्चित करेंगे।

समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेले में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है

कि वे कोविड 19 टीके के दोनों डोज लेवे। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं उन्हें दोनों टीके लगाना अनिवार्य होगा। मार्केट एसोसिएशन, मॉल प्रबंधक, मेला आयोजक सुनिश्चित करेंगे। समस्त सिनेमा हॉल,

मॉस्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी

महट्टी प्लेक्स एवं थिएटर में स्टाफ को दोनों टीके लगाना अनिवार्य होगा।

कोविड-19 व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए। दिशा-निर्देशों में दोनों डोज लगाने से तात्पर्य है कि कोविड-19 कि दोनों डोज लगा ली हो अथवा प्रथम डोज लगाने के बाद द्वितीय डोज लगाने की तिथि नहीं निकली हो। आदेश उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं- कलेक्टर

रतलाम ● भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी 2022 के मान से फोटो निर्वाचनक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 का प्रारूप प्रकाशन 1 नवम्बर को किया जा चुका है। आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 30 नवम्बर तक दावे और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अपील की है कि इस अवधि में जिले के ऐसे युवा जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वह बीएलओ से फार्म प्राप्त कर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। सभी बीएलओ गरूड एप के माध्यम से ही फार्म भरवाएंगे, मेनुअल फार्म न भरकर ऑनलाइन ही फार्म भरेंगे।

स्वच्छ 25/11/21

वैक्सीनेशन अभियान: लोगों को दूढ़-दूढ़ कर लगाया वैक्सीन

रतलाम। जिले में शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी वैक्सीनेशन केंद्रों पर शाम होने तक वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। शहर के बाजार क्षेत्रों में अभियान चलाकर लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए जा रहे हैं। सड़कों और बाजारों में स्वास्थ्य विभाग और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम राहगीरों को रोककर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है।

दरअसल रतलाम में बुधवार को वैक्सीनेशन के लिए रतलाम जिले में 70 हजार वैक्सीन लगाने



का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए सभी नोडल अधिकारियों सहित विभाग प्रमुखों को अपने अपने क्षेत्र में लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश जारी

किए गए हैं। रतलाम शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को दूढ़ दूढ़ कर वैक्सिंग लगाई जा रही है। शहर के बाजार क्षेत्रों और सड़कों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को रोककर वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने की पुछताछ कर रही है। वहीं, वैक्सीनेशन टीम मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कर लोगों को वैक्सीन लगा रही है। बहरहाल रतलाम शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन का कार्य रात होने तक भी जारी है। जिससे वैक्सीनेशन का आज का लक्ष्य पूर्ण होने की उम्मीद जताई जा रही है।

भारत 25/11/21

कोरोना से संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त करने के लिये वैक्सीन की दूसरी डोज शीघ्र लगवायें: कलेक्टर

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी नागरिकों से कोरोना वायरस के संक्रमण से संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त करने के लिये समीप के टीकाकरण केन्द्र जाकर वैक्सीन की दूसरी डोज शीघ्र लगवाने अपील की है। कलेक्टर ने अपील में कहा है कि शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिले के प्रत्येक नागरिक को अपनी भागीदारी निभानी होगी। प्रत्येक व्यक्ति ड्यू हो जाने पर न केवल खुद पास के टीकाकरण केन्द्र जाकर वैक्सीन की दूसरी डोज लगवायें बल्कि अपने परिवार के सदस्यों, आस-पड़ोस में रहने वाले लोगों तथा परिचितों एवं रिश्तेदारों को भी इसके लिये प्रेरित करें।

रोजगार मेला में 89 युवाओं का प्रारंभिक चयन

रतलाम। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला प्रशासन तथा मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन रतलाम द्वारा 24 नवंबर को आईटीआई परिसर रतलाम में विकास खंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में 135 युवाओं ने पंजीयन कराया इनमें से 89 युवाओं का रोजगार के लिए प्रारंभिक चयन कंपनियों द्वारा किया गया। साथ ही 36 आवेदकों का स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया। जिला समन्वयक आजीविका मिशन श्री हिमांशु शुक्ला ने बताया कि रोजगार मेले में 14 कंपनियों द्वारा हिस्सा लिया गया।

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

मुफ्त मिलता रहेगा गरीबों को राशन

- गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने बढ़ाया, तीनों कृषि कानून रद्द करने को भी मंजूरी



नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने (31 मार्च, 2022) तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। कोरोना के दौरान इस योजना को शुरू किया गया था। बाद में इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। आज कैबिनेट ने इसे आगे जारी रखने की अफ़वज दे दिया है। इधर, एक और फैसले में कैबिनेट ने तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच दिन पहले (19 नवंबर) गुरु पर्व के दिन इन तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदन में पारित करवाया जाएगा। इसके बाद किसान आंदोलन की वजह बने तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे।

मोदी ने शुक्रवार को कृषि कानून वापसी का ऐलान किया

प्रसाक

था- प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नए नीयत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। वहीं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक संसद सत्र शुरू होने के बाद कम से कम 3 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। संसद सत्र 29 नवंबर से शुरू होना है।

प्रसाक/ 25/11/21

चार को दिया कारण बताओ सूचना पत्र

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बुधवार को मवेशी पकड़ने वाले कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शहर में भ्रमण के दौरान जब रोड पर मवेशी पाए गए तो चार कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया। इन कर्मचारियों को एक दिन का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त का नोटिस जारी किया गया है। मवेशी पकड़ने वाले वाहन के कर्मचारी चरणसिंह-भारतसिंह, मेहफूज-कालेखा, रामा व पूनमचन्द-रतन द्वारा कार्य में लापरवाही बरते जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। 4/11/21

पत्रिका 25/11/21

चार कर्मचारियों को बर्खास्तगी का नोटिस

रतलाम | वैक्सिनेशन के निरीक्षण के दौरान शहर में विभिन्न स्थानों पर आवारा पशु विचरण करने पाए जाने पर आयुक्त सोमनाथ झारिया ने पशु वाहन के कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने का नोटिस जारी किया है। चारों कर्मचारी चरण सिंह भारत सिंह, महफूज काले खां, रामा और पूनमचंद रतन का एक दिन का वेतन काटा है।

वे.आस्कर 25/11/21

निगम अमला सख्त : कमिश्नर झारिया निकले निरीक्षण पर, दुकानदारों व ग्राहकों से ली दूसरे डोज की जानकारी



प्रसारण न्यूज ♦ रतलाम

शहर में कोरोना टीकाकरण के दूसरे डोज को लेकर नगर निगम प्रशासन कमर कस चुका है। बुधवार सुबह से निगम कमिश्नर सोमनाथ झारिया अमले के साथ होटल, प्रतिष्ठान सहित मैरिज गार्डन में निरीक्षण करते नजर आए।

कमिश्नर झारिया ने निरीक्षण के दौरान इंस्ट्रुटियल एरिया में भी भ्रमण करते हुए वहां के कर्मचारियों व स्टाफ के टीकाकरण की जानकारी लेने के बाद शहर के मुख्य मार्ग राम मन्दिर, न्यूरोड, लोकेन्द्र टीकीज आदि क्षेत्रों में रुककर दुकानदारों व ग्राहकों से चर्चा कर टीकाकरण की जानकारी ली। जिन्होंने टीका नहीं लगवाया उन्हें हिदायत देते हुए

दूसरा डोज लगाने की समझाईश दी। कमिश्नर झारिया ने बताया की बुधवार को हिदायत के साथ समझाईश दी जा रही है, 25 नवम्बर से चालानी कार्यवाही की जाएगी।

शहर के न्यूरोड पर कमिश्नर झारिया ने बालाजी नारता पॉइंट पर निरीक्षण के दौरान एक व्यक्ति को दूसरा टीका लगे बगैर पाया। कमिश्नर झारिया ने उससे पूछा क्यों नहीं लगा दूसरा टीका?

उक्त व्यक्ति ने बीमारी का बहाना बनाया मगर। कमिश्नर के सवालों के आगे उसका बहाना नहीं चल सका और अंततः व्यक्ति ने टीका लगाने का संकल्प लिया। निगम कमिश्नर ने टीका लगने के बाद पुनः उस व्यक्ति से सम्पर्क करने की भी बात कहकर मोबाइल नंबर डायरी में नोट करवाया।

कलेक्टर ने की नागरिकों से अपील कोरोना से संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त करने के लिये वैक्सीन की दूसरी डोज शीघ्र लगवायें

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी नागरिकों से कोरोना वायरस के संक्रमण से संपूर्ण



सुरक्षा प्राप्त करने के लिये समीप के टीकाकरण केन्द्र जाकर वैक्सीन की दूसरी डोज शीघ्र लगवाने अपील की है। कलेक्टर ने अपील में कहा है कि शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिले के

प्रत्येक नागरिक को अपनी भागीदारी निभानी होगी। प्रत्येक व्यक्ति ड्यू हो जाने पर न केवल खुद पास के टीकाकरण केन्द्र जाकर वैक्सीन की दूसरी डोज लगवायें बल्कि अपने परिवार के सदस्यों, आस-पड़ोस में रहने वाले लोगों तथा परिचितों एवं रिश्तेदारों को भी इसके लिये प्रेरित करें।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि शत-प्रतिशत पात्र आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन सेंटर बनाये गये है।

18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं: कलेक्टर

रतलाम। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2022 के माज से फोटो निर्वाचनकं नामावली के विशेष साक्षि पुनरीक्षण 2022 का प्रारूप प्रकाशन 1 नवम्बर, 2021 को किया जा चुका है। आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 30 नवम्बर तक दावे और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अपील की है कि इस अवधि में जिले के ऐसे युवा जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वरुबी.एल.ओ. से फार्म प्राप्त कर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते है। सभी बी.एल.ओ. गरूड.एच के माध्यम से ही फार्म भरवाएंगे, मेनुअल फार्म ज भरकर ऑनलाईन ही फार्म भरेंगे।

यसरा 25/11/21

खुले में गंदगी करने पर 14 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 23 नवम्बर को 14 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।
निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर सुरेन्द्र सिंह विनोबा नगर, सुरेश कुमार, अनन्तसिंह चौहान, दशरथ, सुरेश, चरणदेवी, कमल, गोपाल बीरासी रेल नगर, व्यास, कन्हैया पर 500-500, कृष्णा रेल नगर पर 300, चन्द्रकला रेल नगर पर 200, सुनील व रावजी स्टेशन रोड पर 100-100 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

प्रसारण 25/11/21

4873 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

रतलाम। शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन, मानसिक वृद्धिकर्ता पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का श्वसन के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वाई दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वाईवार बनाए गए केंद्रों पर किया जा रहा है। अब तक 4873 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।

शुद्धनीया 25/11/21

89 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को 89 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर से 33325, ट्रैक्टर-ट्राली से 17395, कामेक्टर सूखा कचरा 19875, कामेक्टर गीला कचरा 18990 कुल 89585 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया।

आयुक्त सहित टीम ने दुकानों पर पूछा दूसरा टीका लगवाया है...

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. वैक्सीनेशन महा अभियान के तहत बुधवार को एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रशासन और नगर निगम का अमला टीकाकरण के काम में जुट गया। इसके चलते सुबह से शाम तक हजारों लोगों को टीके का पहला और दूसरा डोज लगाया गया। इतना ही नहीं शहर में नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया सहित पूरी टीम सड़कों पर घूमकर दुकानों पर जाकर यह पूछती नजर आई कि आपने टीका लगवाया या नहीं।

टीकाकरण से छूटे हुए लोगों की पहचान कर उन्हें टीका लगाए जाने के लिए प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सड़क के प्रमुख



चौराहों पर खड़े श्रमिक सहित अन्य लोगों से भी वैक्सीनेशन की जानकारी ली और जिन लोगों के द्वारा पहला या दूसरा टीका समय होने पर भी नहीं लगवाया गया था उन्हें पकड़कर टीकाकरण किया गया। टीकाकरण का यह उत्साह शहर के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी देखने को मिला।

यहां कलेक्टर कर रहे अपील

वहीं दूसरी ओर टीकाकरण को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम स्वयं मैदान संभाल रहे हैं। कलेक्टर द्वारा जिले के सभी लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण से संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त

रात 8.30 बजे तक 52,704 का टीकाकरण

विकासखंड	टीके लगे	लक्ष्य	प्रतिशत
आलोट	7234	9000	80
बाजना	4202	6000	70
जावरा	9977	14000	71
पिपलीवा	5977	6030	99
रतलाम ग्रामीण	9476	13000	73
सैलाना	6140	7000	88
रतलाम शहर	4646	15000	31
कुल	47652	70030	68

करने के लिए समीप के टीकाकरण केंद्र जाकर वैक्सीन की दूसरी डोज शीघ्र लगवाने की अपील की है। कलेक्टर ने कहा

कि शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिले के प्रत्येक नागरिक को अपनी भागीदारी निभानी होगी।

पत्रिका 25/11/21

जल संकट से दुखी रतलाम वासियों की सुध लीजिए कलेक्टर साहब

दैनिक अवन्तिका ॥ रतलाम

शहर में विगत कई दिनों से पेयजल संकट रतलाम वासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अक्सर प्रातः एवं निर्धारित समय पर पानी नलों में नहीं आता है और पेयजल प्रदाय का शहर में कोई एलान भी नहीं किया जाता है।

पूर्व में भी पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित शहरवासी बड़ा संकट झेल चुके हैं। तब कलेक्टर ने निर्देशित किया था की पेयजल निर्धारित समय पर एवं 40 मिनट तक जनता को जरूर देवे और उस समय के जल प्रदाय प्रभारी इंजीनियर को दोषी मानकर निलंबित कर दिया गया था, लेकिन आज भी स्थिति वही ढाक के तीन पात वाली बनी हुई है आज प्रातः 6 बजे स्टेशन रोड टीआईटी रोड बैंक कॉलोनी प्रीमंज

, आनंद कॉलोनी आदि क्षेत्रों में जल प्रदाय 9 बजे प्रारंभ किया गया और पीने का पानी भरते उसके पूर्व ही 10 मिनट जल प्रदाय होकर नलों में पानी दौड़ना बंद हो गया। नगर निगम के जिम्मेदारों से जब भी पूछे तो रटा रटयाजवाब होता है कि मोटर जल गई, पाइप लाइन फट गई, वाल खराब हो गया, टंकी नहीं भराई आदि आदि बहाने कर लोगों को पानी पीने और जरूरी कामों से वंचित रखा जा रहा है।

कलेक्टर साहब प्रशासक होने के नाते शहर वासियों को पेयजल, सफाई, प्रकाश, आवारा मवेशी मच्छरों, सड़ांध मारती नालियों से संबंध परेशानियों से मुक्ति दिलाने की जनता गुहार लगा रही है। जहां विकास के कार्य की ओर ध्यान दिया जा रहा है वही जनता की सुविधा दिए जाने पर भी आपका फोकस वांछनीय है।

अवन्तिका 25/11/21

ट्रैफिक • मुख्य मार्गों के साथ पास के क्षेत्र के बुरे हाल, पार्किंग नहीं होने से सड़कों पर खड़े कर रहे वाहन

पार्किंग बनाए बगैर आवासीय परिसरों को व्यावसायिक में बदल लिया, लग रहा जाम

**सुगम हो शहर
का ट्रैफिक**

भास्कर संवाददाता | रत्नलाम

किराया के लिए लोग आवासीय परिसरों को कमर्शियल में तब्दील कर रहे हैं। मकानों में आगे दुकानें निकाली जा रही है। दूसरी और तीसरी मंजिला पर आफिस बनाकर हजारों रुपए किराया वसूला जा रहा है।

इससे भवनों के मालिकों को कमाई हो रही है, लेकिन बगैर पार्किंग के मकानों को कमर्शियल स्पेस में तब्दील करने से जनता की फजीहत हो गई है। यहां आने वाले लोग सड़क पर वाहन खड़े कर रहे हैं। इससे जाम लग रहा है और जनता परेशान हो रही है। आग लगने की घटना हो जाए तो जनहानि होने का डर है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिलाध्यक्ष अनुराग लोखंडे ने बताया पहले जो मकान थे, वे कमर्शियल स्पेस में तब्दील हो रहे हैं। इससे हमें परेशानी नहीं है लेकिन बगैर पार्किंग व्यवस्था किए मकानों को व्यावसायिक परिसर में तब्दील किया जा रहा है। जनता की इस परेशानी को ग्राहक पंचायत मजबूती से उठाएगा।

दिवकत : व्यावसायिक परिसर बनाने के दौरान सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते



ये फोटो स्टेशन रोड एचडीएफसी बैंक के पीछे का है। आवासीय परिसर कमर्शियल परिसर में बदलने से पीछे वाहन पार्क किए जा रहे हैं। चूंकि पीछे रहब्यम्सी क्षेत्र है। वाहन पार्क करने से परेशान होना पड़ रहा है।



ये पैलेस रोड- सूरजपौर मार्ग है। यहां मकानों को तोड़कर दुकानें बनाई जा रही हैं, लेकिन पार्किंग नहीं है। यहां इंडियन बैंक है। बैंक में आने वाले ग्राहक रोड पर वाहन खड़े कर रहे हैं।

शहर के स्टेशन रोड, पैलेस रोड, नगर निगम क्षेत्र और 80 फीट रोड पर होने लगी है पार्किंग की परेशानी

- **स्टेशन रोड- स्टेशन रोड** का एरिया कमर्शियल एरिया में तब्दील हो गया है। बगैर पार्किंग बनाए यहां लोगों ने अपने मकान तोड़कर दुकानें बना दी। कई ने तो अपना तीन मंजिला मकान कमर्शियल बना दिया है। इससे यहां आने वाले लोग वाहन सड़क पर ही पार्क कर रहे हैं।
- **पैलेस रोड से सूरजपौर तक-** इस रोड की दोनों साइड रहवासी क्षेत्र है। यह तेजी से कमर्शियल एरिये में तब्दील हो रहा है। बैंक, एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक दुकानों के साथ कपड़े और जूतों की दुकानें तेजी से खुल रही हैं। पार्किंग को नजर अंदाज किया जा रहा है। इन दुकानों पर खरीदारी करने आने वाले लोग वाहन सड़क पर खड़े कर रहे हैं। लोगों को दिक्कत आ रही है।

- **नगर निगम से पैलेस रोड-** यह पूरा रहवासी क्षेत्र है। लेकिन यहां भी मार्केट बनाकर बैंक और एटीएम को किराया पर दे दिया गया है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं की है। इससे रोड पर ही वाहन खड़े किए जा रहे हैं।
- **80 फीट रोड-** तेजी से कमर्शियल एरिया बन रहा है। यहां अस्पताल के साथ ही मैरिज गार्डन भी है। लेकिन यहां भी यही हाल है। अस्पताल में आने वाले मरीज रोड पर ही अपने वाहन खड़े कर रहे हैं। वहीं मैरिज गार्डन के भी यही हाल है। गार्डन में पार्किंग स्पेस सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है। शादियों के दौरान रोड पर ही वाहन पार्क किए जा रहे हैं।

भास्कर

द.भास्कर 25/11/21

11 दिसंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

रतलाम ● नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को जिला न्यायालय रतलाम, तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत के संदर्भ में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता द्वारा एक बैठक समस्त न्यायाधीशगणों के साथ आयोजित कर अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित कर उनके निराकरण करने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। लोक अदालत की तैयारी हेतु अन्य विभागों जैसे बैंक अधिकारीगण की बैठक 25 नवंबर एवं क्लेम प्रकरणों हेतु बीमा कंपनियों तथा उनके आवेदकगण के अधिवक्तागणों की बैठक 25 एवं 26 नवंबर को तथा नगरपालिका व अन्य विभागों के साथ 27 नवंबर को बैठक आयोजित की

जाएगी। लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण, सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, चेक अनादरन प्रकरण, भरण पोषण एवं वैवाहिक विवादों से संबंधित प्रकरण, विद्युत चोरी, संपत्तिकर, जल कर एवं

बैंक व अन्य विभागों के बकाया राशि के वसूली प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण होगा। विभिन्न विभागों द्वारा शासन के आदेशानुसार वसूली राशि में छूट भी दी जाएगी।

11/11/21

आंगनवाड़ी केन्द्रों में आज मनेगा सविधान दिवस

रतलाम ● प्रदेश के बच्चों एवं किशोरों में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना को प्रेरित करने और उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 26 नवम्बर को प्रदेश की सभी बाल देख-रेख संस्थाओं और आंगनवाड़ी केन्द्रों में सविधान दिवस उत्सव मनाया जाएगा। इस संबंध में महिला-बाल विकास विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारियों को सुबह 9 से 11 बजे तक बाल देख-रेख संस्थाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों एवं किशोर समूहों के साथ सविधान दिवस को उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश दिए गए हैं। सविधान दिवस पर कैलाश सत्यादी चित्रण फाउंडेशन द्वारा बच्चों एवं किशोरों को पढ़ने के लिए हिन्दी में भारत का सविधान की प्रस्तावना, 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए सक्षिप्त भाषण, बाल देख-रेख संस्था एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में नामांकित छोटे बच्चों के लिए हिन्दी वर्णमाला के माध्यम से संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य की जानकारी दी जाएगी।

स्वदेश 25/11/21

नेशनल लोक अदालत की तैयारियां शुरू

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 11 दिसंबर को जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में प्रकरण रखने व उनके निराकरण के संबंध में 25 नवंबर से बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व जिला न्यायाधीश अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय के साथ जावरा, सैलाना व आलोट तहसील न्यायालय में किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश व प्राधिकरण अध्यक्ष राजेशकुमार गुप्ता ने न्यायाधीशों के साथ बैठक कर उन्हें समझौता योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित कर निराकरण करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। अदालत की तैयारियों के संबंध में 25 व 26 नवंबर को क्लेम प्रकरणों के संबंध में बीमा कंपनियों व आवेदकों के अभिभावकों व 27 नवंबर को नगर पालिका व अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठक रखी जाएगी। लोक अदालत में समझौता प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, चेक अनादरन, भरण पोषण एवं वैवाहिक विवादों से संबंधित समझौता योग्य प्रकरण, बिजली चोरी, संपत्तिकर, जलकर, बैंक व अन्य विभागों के बकाया राशि के वसूली प्रकरणों का राजीनामे के आधार पर निराकरण किया जाएगा। विभिन्न विभागों द्वारा शासन के दिशा निर्देशानुसार वसूली राशि में छूट भी दी जाएगी।

स्वदेश 25/11/21

नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर को आयोजित होगी

रतलाम | जिला न्यायालय के साथ ही जावरा, सैलाना और आलोट के न्यायालयों में 11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा।

नेशनल लोक अदालत की तैयारी के लिए बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सहायता प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने बुधवार को जिले के न्यायाधीशों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। बैंक अधिकारियों की बैठक गुरुवार को, बीमा क्लेम प्रकरणों के लिए गुरुवार और शुक्रवार को तथा नगर निगम और अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठक शनिवार को होगी। बुधवार को हुई मीटिंग में जिला विधिक सहायता प्राधिकरण सचिव एवं अपर सत्र न्यायाधीश अरुण श्रीवास्तव भी शामिल हुए। न्यायाधीशों ने आपसी समझौते के आधार पर निराकरण के सुझाव दिए। सचिव श्रीवास्तव ने पक्षकारों से अनुरोध किया है कि लंबित एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरण समझौते के आधार पर निराकरण के लिए अभिभावक के माध्यम से संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करें।

स्वदेश 25/11/21

18+ मतदाता सूची में 30 नवम्बर तक जुड़वा सकेंगे अपना नाम

रतलाम। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2022 के मान से फोटो निर्वाचनक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 का

► कलेक्टर ने युवाओं से की नाम जुड़ाने की अपील

प्रारूप प्रकाशन 1 नवम्बर, 2021 को किया जा चुका है।

आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 30 नवम्बर तक दावे और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि



निर्धारित है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अपील की है कि इस अवधि में जिले के ऐसे युवा जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वह बी.एल.ओ. से फार्म प्राप्त कर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। सभी वीएलओ गुरुड एप के माध्यम से ही फार्म भरेवाएंगे, मैन्युअल फार्म न भरकर ऑनलाईन ही फार्म भरेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषित किया कार्यक्रम: राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम

घोषित किया है। यह संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम उन ग्राम पंचायतों के तहत ही होगा, जो अध्यक्षता से प्रभावित हुई है। साथ ही पुनरीक्षण अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की यथाचित स्थान पर प्रविष्ट करने तक ही सीमित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार 25 से 28 नवम्बर तक पूर्व परिसीमन के आधार पर नये क्षेत्र का चिन्हांकन, मतदाताओं को क्षेत्रवार कन्ट्रोल टेबल में यथास्थान लिंक करना एवं उनका वेरीफिकेशन करना, फोटो रहित और फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता

सूची जनरेंट करना तथा उसे वेबसाइट पर अपलोड करने का कार्य किया जायेगा।

3 दिसम्बर तक दावे-आपत्ति

प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 29 नवम्बर को कर 3 दिसम्बर तक दावे-आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 4 दिसम्बर तक कर अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 6 दिसम्बर को किया जायेगा।

अपेक्षा 25/11/21

त्रिवेणी मैदान पर लगने वाला मेला प्रारंभ करें



श्री सनातन धर्मसभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति की बैठक में वार्ता करते हुए समाजजन। © नईदुनिया

रतलाम। श्री सनातन धर्मसभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति के तत्वाधान में इस वर्ष भी त्रिवेणी के पावन तट पर 68वां महारुद्र यज्ञ 24 दिसंबर से 3 जनवरी 2022 तक आयोजित करने के संबंध में समिति की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें यज्ञ के संबंध में विचार-विमर्श कर कई निर्णय लिए गए।

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त से मांग की गई है कि कोरोना महामारी का प्रभाव कम हो गया है, इसलिए त्रिवेणी मैदान में लगने वाला मेला पुनः प्रारंभ किया

जाए, ताकि मेले में दुकानें लगाने वालों को रोजगार मिल सके। सनातन धर्मसभा के अध्यक्ष कन्हैयालाल मोरिय ने कहा कि राज्य शासन द्वारा मेलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। इस संदर्भ में नगर निगम को मेला आयोजित करना चाहिए। बैठक में उपाध्यक्ष लालचंद टाक, सचिव नवनीत सोनी, सराफ रामचंद्र शर्मा, मंत्री प्रेमनारायण उपाध्याय, डा. राजेंद्र शर्मा, गोपाल जवेरी, पुष्पेन्द्र जोशी, वृजेश नंदन मेड़ता, चेतन शर्मा, महिला मंडल अध्यक्ष राखी व्यास, हंसा व्यास आदि उपस्थित रहे।

त्रिवेणी तट पर 68वां महारुद्र यज्ञ 24 दिसंबर से होगा शुरू

कलेक्टर व निगमायुक्त से लेंगे मेला की अनुमति

रतलाम। त्रिवेणी तट पर 68वां महारुद्र यज्ञ 24 दिसंबर से शुरू होगा। महारुद्र यज्ञ 3 जनवरी 2022 तक चलेगा। श्री सनातन धर्मसभा और महारुद्र यज्ञ समिति द्वारा होने वाले महारुद्र यज्ञ को लेकर बैठक हुई। निर्णय लिया कि कलेक्टर व निगमायुक्त से मिलकर मांग की जाएगी कि कोरोना महामारी का प्रभाव कम हो गया है। त्रिवेणी मैदान में लगने वाले मेले को शुरू किया जाए ताकि लगने वाले मेला से आजीविका

चलाने वालों को रोजगार मिले। सनातन धर्मसभा अध्यक्ष कन्हैयालाल मोरिय ने बताया राज्य शासन द्वारा मेलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। उपाध्यक्ष लालचंद टाक, सचिव नवनीत सोनी, सराफ रामचंद्र शर्मा, मंत्री प्रेमनारायण उपाध्याय, डॉ. राजेंद्र शर्मा, गोपाल जवेरी, पुष्पेन्द्र जोशी, वृजेश नंदन मेड़ता, चेतन शर्मा, महिला मंडल अध्यक्ष राखी व्यास, हंसा व्यास, चेतन सहित अन्य मौजूद रहे।

दी. आर. स्वर 25/11/21

नईदुनिया 25/11/21